

19



राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश मोतीमहल, ग्वालियर

दूरभाष : 0751-2452823, फ़ैक्स : 0751-2457695

प्रकरण क्रमांक PBR/विविध/मंदसौर/भ.रा./2018/0230
प्रति,

दिनांक

आयुक्त,
उज्जैन संभाग, उज्जैन
मध्यप्रदेश

विषय-प्रकरण क्रमांक 158/बी-121/2015-16 श्रीमती विद्या पुखराज दशोरा विरुद्ध शासन
में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बावत् ।

संदर्भ-आपका पत्र क्रमांक 04/रीडर-1/18 दिनांक 6-1-2018

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर, जिला मंदसौर के आदेश दिनांक 6-6-2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक बी-121 में दर्ज कर जो आदेश पारित किया गया है, वह प्रथम दृष्टया म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत नहीं आता है । कलेक्टर की उक्त कार्यवाही प्रशासनिक स्वरूप की प्रतीत होती है और प्रशासनिक स्वरूप की कार्यवाही के प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति देने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है ।

अतः आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को मूल आवेदन पत्र एवं कलेक्टर न्यायालय का अभिलेख मूलतः वापिस किया जाता है । आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में परीक्षण कर अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं ।

संलग्न- मूल अभिलेख एवं आवेदन पत्र ।

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/विविध/मंदसौर/भू.रा./2018/0230

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

1-2-2018

आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र एवं संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर, जिला मंदसौर के आदेश दिनांक 6-6-2017 को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण मद बी-121 में दर्ज कर जो आदेश पारित किया गया है, वह प्रथम दृष्टया म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत नहीं आता है । कलेक्टर की उक्त कार्यवाही प्रशासनिक स्वरूप की प्रतीत होती है और प्रशासनिक स्वरूप की कार्यवाही के प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति देने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है ।

2/ आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में परीक्षण कर अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं । अभिलेख वापिस भेजा जाये । यह प्रकरण समाप्त किया जाये ।


अध्यक्ष